सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2014-15

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय : चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021. महाराष्ट्र

CENTRAL BANK OF INDIA

Central Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra

विषय–सूची /Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश	2
निदेशक मंडल/Board of Directors	6
नोटिस	7
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	27
निदेशक रिपोर्ट 2014–15	28
प्रबंधतंत्र विचार–विमर्श तथा विश्लेषण	32
कार्पोरेट गवर्नेंस	60
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	81
दिनांक 31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र	83
दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	85
तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाते की अनुसूचियां	87
मुख्य लेखांकन नीतियां	93
लेखों से सम्बन्धित टिप्पणियां	98
दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी	121
दिनांक 31 मार्च, 2015 का समेकित तुलन पत्र	163
प्रॉक्सी फॉर्म	191
Chairman & Managing Director's Message	193
Notice	195
Performance Highlights	213
Director's Report 2014-15	214
Management Discussion and Analysis	218
Corporate Governance	243
Auditors' Report to the President of India	260
Balance Sheet as on 31 March, 2015	262
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2015	264
Scheduled to Balance Sheet and Profit and Loss Account	266
Principal Accounting Policies	272
Notes Forming Part of the Accounts	276
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2015	298
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2015	336
Proxy Form	363
Attendance Form / Entry Form	365

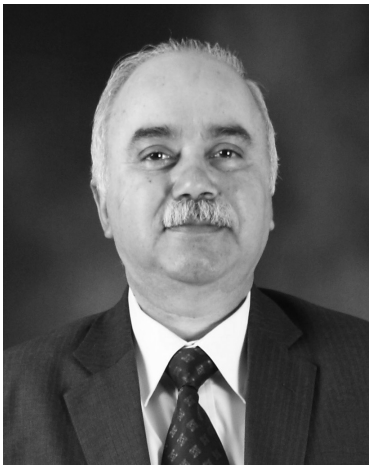

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

वित्तीय वर्ष 2014–15 बैंक के लिए एक सुदृढ़ीकरण का वर्ष रहा है. बाजार परिदृश्य के अनुरूप ही विकास–स्तर औसत रहा. बैंक ने अपना ध्यान कृषि, एसएमई एवं रिटेल अग्रिम जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों पर केन्द्रित करने की कार्यनीति अपनाई, जिसके परिणाम वर्ष के दौरान प्राप्त होने शुरू हो गये हैं.

विकास की संभावनाओं के मद्देनजर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए, आगामी वर्ष यद्यपि बेहतर रहना संभावित है, तथापि, निकटवर्ती समय में मंदी का प्रभाव जारी रहेगा. तेल की घटती कीमतें, वैश्विक ब्याज दरों में कमी और मजबूत यूएस अर्थव्यवस्था के चलते, विकासशील देशों के लिए आगामी वर्ष के बेहतर रहने की प्रत्याशा है. जहां चीन में विकास की रफ्तार घटकर उसके आधिकारिक लक्ष्य 7% की तुलना में कम हो रही है, वहीं भारत अगले दो वर्षों में प्रगति पथ पर बढने के लिए अग्रसर है.

हाल ही में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 के स्थान पर वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष मानते हुए एक नई जीडीपी सीरीज़ जारी किए जाने की एक महत्वपूर्ण घटना हुई है. इस नई सीरीज़ में परिष्कृत कार्यप्रणाली नियोजित है तथा इसमें काफी अधिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से भारत जीडीपी प्राक्कलन में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष आ गया है. नए प्राक्कलन का उपयोग करते हुए, वर्ष 2015–16 में बाजार मूल्य पर देश की जीडीपी में वृद्धि 8.1 से 8.5% के बीच होने की प्रत्याशा है. तथापि, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण ने संतुलित विकास का अनुमान दर्शाया है और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "साक्ष्य एवं सचेतक भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी की बजाय सुधार की व्याख्या के पक्ष में पैरवी कर रहे हैं."

सरकार द्वारा किए गए कई नीतिगत उपायों, मुद्रास्फीति में सतत कमी और घटती ब्याज दर की व्यवस्था से औद्योगिक उत्पादन एवं घरेलू उपभोग के पुनरोत्थान में महत्वपूर्ण मदद प्राप्त होगी. अतएव, सुधार एवं विकास की संभावनाओं को देखते हुए, सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में सातत्यपूर्ण विकास के प्रति आशान्वित हुआ जा सकता है.

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, बैंक का व्यवसाय 6.41% की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2013–14 के रु. 4,23,390 करोड़ से बढ़कर रु. 4,50,539 करोड़ तक पहुंच गया. बैंक के जमा एवं ऋण में वृद्धि क्रमश: 6.46% तथा 6.35% रही. कुल जमा में कासा की हिस्सेदारी, वित्तीय वर्ष 2013–14 के 33.33% के समक्ष 34.05% रही. व्यवसाय में लाभप्रद वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, **उच्च लागत जमाओं** में उल्लेखनीय कमी की गई. कुल जमा में उच्च लागत जमा की हिस्सेदारी घटकर मार्च 2015 को 10.73% हो गई, जबकि मार्च 2014 में यह स्तर बहुत अधिक अर्थात 21.84% था. समेकित कोर जमा में 21.59% की वृद्धि के माध्यम से इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2013–14 के रु.3238 करोड़ में 9.91% की वृद्धि दर्ज करते रु.3559 करोड़ हो गया. साथ ही,

बैंक ने रु.606 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष रु.(1263) करोड़ की शुद्ध हानि दर्शाई थी.

बैंक की जमा–लागत वित्तीय वर्ष 2013–14 के 7.24% से घटकर 7.22% हो गई, बैंक की शुद्ध ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2013–14 के रु.6494 करोड़ से बढ़कर रु.7247 करोड़ हो गई, इसमें 11.60% की वृद्धि दर्ज हुई. बैंक की अन्य आय अथवा शुल्क आधारित आय वित्तीय वर्ष 2013–14 के रु.1923 करोड़ से घटकर रु.1894 करोड़ हो गई.

पिछले कुछ वर्षों से बैंक की **आस्ति गुणवत्ता** चिंता का विषय बनी हुई है. सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए वित्तीय वर्ष 2013–14 के 6.27% से घटकर 6.09% हो गया और शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध एनपीए वित्तीय वर्ष 2013–14 के 3.75% से घटकर 3.61% हो गया. यह कमी बुनियादी क्षेत्र, वस्त्रोद्योग, लौह एवं इस्पात, इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण इत्यादि जैसे कुछ क्षेत्रों से सम्बंधित आस्तियों पर दबाव के कारण हुई. आपका बैंक एनपीए प्रबंधन के बारे में शुरू से ही सजग रहा है और वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, सकल एनपीए को 5.25% से नीचे तथा शुद्ध एनपीए को 2.20% से नीचे नियंत्रित रखने के लिए बैंक अपना प्रयास जारी रखेगा.

अर्थव्यवस्था के 'अंतिम छोर' तक पहुंचने के लिए बैंक विभिन्न वित्तीय समावेशन पहल के माध्यम से समावेशी वृद्धि में पूरी तरह से जुड़ा रहा है. सरकार का **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लागू किया जा रहा है, इनमें से आठ जिलों में हम अग्रणी बैंक हैं. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, इन जिलों एवं नए जिलों में और अधिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के माध्यम से बैंक के लिए और अधिक कासा जमा संग्रहित करने तथा ऋण विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा. साथ ही, बैंक ने 'प्रधानमंत्री जन–धन योजना' को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है और दिनांक 31 मार्च, 2015 तक 57,17,895 खाते खोले हैं.

मार्च 2015 को अपनी 4689 शाखाओं का यह बैंक, जिसकी 2/3 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों में हैं और 3677 अति–सूक्ष्म शाखाएं हैं, अपनी पहचान **रिटेल बैंक** के रूप में बनाए रखेगा. आपका बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो अब तक की तुलना में और अधिक तेजी से विकास करे.

बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

हस्ताक्षर/–

राजीव ऋषि

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 25 मई, 2015

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

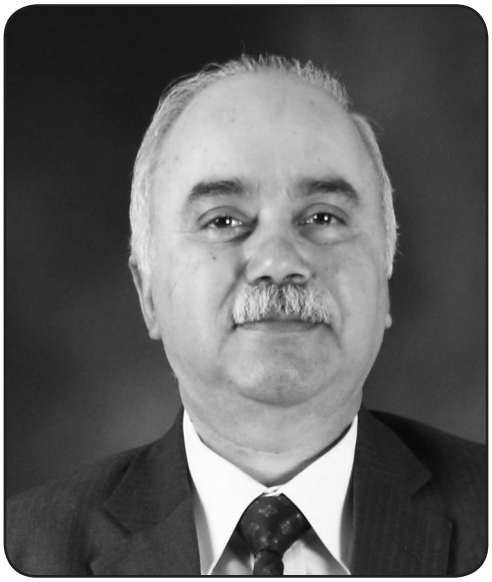

श्री राजीव ऋषि
Shri RAJEEV RISHI
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

श्री आर. के. गोयल
Shri R. K. GOYAL
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

श्री बी. के. दिवाकर
Shri B. K. DIVAKARA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

डॉ. आर. सी. लोढ़ा
Dr. R. C. LODHA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

(जारी/Contd...)

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

डॉ. सौरभ गर्ग
Dr. SAURABH GARG
भारत सरकार नामित निदेशक
Govt. of India Nominee Director

श्री शेखर भटनागर
Shri SHEKHAR BHATNAGAR
आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director

श्री कृष्ण सेठी
Shri KRISHAN SETHI
गैर–सरकारी निदेशक
Non-Official Director

श्री एम. पी. शोरावाला
Shri M. P. SHORAWALA
गैर–सरकारी निदेशक
Non-Official Director

श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा
Smt. N. S. RATHNAPRABHA
गैर–सरकारी निदेशक
Non-Official Director

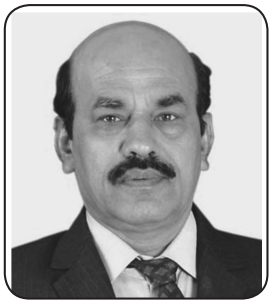

श्री एस. बी. रोडे
Shri S. B. RODE
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Officer Employee Director

श्री गुरबख्श कुमार जोशी
Shri GURBAX KUMAR JOSHI
कर्मकार कर्मचारी निदेशक
Workmen Employee Director

निदेशक मंडल श्री राजीव ऋषि श्री आर.के. गोयल श्री बी.के. दिवाकर डॉ. आर. सी. लोढ़ा डॉ. सौरभ गर्ग श्री शेखर भटनागर श्री कृष्ण सेठी श्री एम.पी. शोरावाला श्री एस.बी. रोडे श्री गुरबख्श कुमार जोशी श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	**BOARD OF DIRECTORS** SHRI RAJEEV RISHI SHRI R.K. GOYAL SHRI B.K. DIVAKARA Dr. R.C. LODHA Dr. SAURABH GARG SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI KRISHAN SETHI SHRI M.P. SHORAWALA SHRI S.B. RODE SHRI GURBAX KUMAR JOSHI SMT. N.S. RATHNAPRABHA
लेखा परीक्षक मै. कुमार चोपड़ा एंड एसोशिएट्स मै. पी.के. सुब्रमणियम एंड कंपनी मै. दूगड़ एंड एसोशिएट्स मै. एन. सरकार एंड कंपनी. मै. बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी. मै. चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय	**AUDITORS** M/s Kumar Chopra & Associates M/s P.K. Subramaniam & Co. M/s Doogar & Associates M/s N. Sarkar & Co. M/s B.N. Misra & Co. M/s Chandabhoy & Jassoobhoy
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. सी–13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम) मुम्बई –400078 टेलीफोन: 022–25946970 फैक्स : 022–25946969 ई–मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in	**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS** Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound LBS Marg, Bhandup (West) Mumbai-400078 Tel: 022-25946970 Fax: 022-25946969 E-mail ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता सहायक महाप्रबंधक–एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी नरीमन पॉईंट मुंबई–400 021 संपर्क नं. 022– 6638 7818 फैक्स : 022– 2283 5198 ई–मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in	**ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK** AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai 400 021 Contact No. 022- 6638 7818 Fax No.: 022- 2283 5198 Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 30 जून 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/ रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2015 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) वित्तीय वर्ष 2014–15 का लाभांश घोषित करना.

3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसको इसके पश्चात अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i), सहपठित बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके पश्चात 'योजना' कहा जाएगा), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 (जिसे इसके पश्चात 'विनियम' कहा जाएगा) जोकि अधिनियम की धारा 19 एवं अधिसूचना सं. डीबीओडी . सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/ 2007–08 दिनांक 01 नवम्बर 2007 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सं. डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई 2011 (जिसे इसके पश्चात 'आरबीआई अधिसूचना' कहा जाएगा) के अनुसरण में निम्नलिखित संकल्प पास कर केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से बैंक के दो निदेशकों का चुनाव करना.

   यह संकल्प लिया जाता है कि अधिनियम की धारा 9(3) (i), सहपठित योजना, उनके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों, जो एतद्द्वारा चुने गए हैं / चुनी गई हैं उनके चुने जाने / चुने हुए माने जाने की अगली तारीख से कार्यभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक चुने गए / गई हैं और वे इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कार्यभार संभालेंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर
(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक–एमबीडी/
कंपनी सचिव

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 25.05.2015

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरणी

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. विनिर्दिष्ट तारीख

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में सहभागिता अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने एवं वोट देने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों का निर्धारण करने के उद्देश्य से शुक्रवार दिनांक 29 मई 2015 को विनिर्दिष्ट तारीख निश्चित की गयी है.

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2015 को सायं 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 25 जून, 2015 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

5. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

6. उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची–सह प्रवेश पास में प्रॉक्सी अथवा प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

7. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून, 2015 (गुरूवार) से दिनांक 30 जून, 2015 (मंगलवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.

8. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान–अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

9. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं.

11.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय–विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन–देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

तदापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- बैंक का नाम
- शाखा का पता
- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पन्ने की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए.

11.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्लू.) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

12. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 35 बी के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ ई–वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

ई–वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

(i) वोटिंग समयावधि शनिवार दिनांक 27 जून 2015 को प्रात:10:00 बजे से प्रारंभ हो कर सोमवार दिनांक 29 जून 2015 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. एजेन्डा मद संख्या 3 को छोड़कर जिसके लिए कट ऑफ तारीख शुक्रवार दिनांक 29 मई 2015 है, इस समयावधि के दौरान बुधवार दिनांक 24 जून 2015 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हो अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

(ii) शेयर धारक ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.

(iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.

(iv) अब अपना यूजर आईडी डालें

ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी

बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी

सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.